भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3316

08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं का अभाव

3316. श्री सतपाल ब्रह्मचारीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हरियाणा के सोनीपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, विशेषकर जींद और सोनीपत सिविल अस्पताल तथा खरखौदा ब्लॉक में रेडियोलॉजी, एमआरआई, कैथ लैब आदि जैसी स्वास्थ्य सेवाओं की वर्तमान कमी पर कोई एकीकृत मूल्यांकन किया है;
(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान डॉक्टरों, विशेषकर स्त्री रोग विशेषज्ञों, बाल रोग विशेषज्ञों, शल्य चिकित्सकों आदि जैसे विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और इस क्षेत्र में रिक्तियों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और एसडीसीएच स्तरों पर आवश्यक उपकरणों - जैसे लैब मशीन, ऑक्सीजन सपोर्ट, वेंटिलेटर और दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इन कमियों को दूर करने की समय-सीमा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने राज्य के सोनीपत और जींद जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कोई तृतीय पक्ष संपरीक्षा, प्रभाव मूल्यांकन या सीएजी-स्तरीय निरीक्षण किया है, यदि हाँ, तो मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और यदि नहीं, तो ऐसे मूल्यांकन की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार, मानदंडों एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार, कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करती है।

एनएचएम के अंतर्गत, सभी राज्यों/संघ संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा बैठकों, प्रमुख कार्यों की मध्यावधि समीक्षा, वरिष्ठ अधिकारियों के क्षेत्रीय दौरों, सेवा वितरण के लिए मानक स्थापित करके निष्पादन को बढ़ावा देने और उपलब्धियों को पुरस्कृत करने

आदि, के माध्यम से निगरानी की जाती है। इसके अलावा, योजना के अंतर्गत प्रगति और कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन और निगरानी करने के लिए प्रतिवर्ष सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) आयोजित किए जाते हैं।

हरियाणा राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, सोनीपत में जिला नागरिक अस्पताल (डीसीएच) सोनीपत, उप-मंडल अस्पताल (एसडीएच) खरखौदा, एसडीएच गोहाना, एसडीएच गन्नौर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) मुंडलाना, सीएचसी फिरोजपुर बांगर और सीएचसी जुआन में कार्यात्मक एक्स-रे संयंत्र उपलब्ध हैं। डीसीएच सोनीपत में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत डायलिसिस विंग और सीटी स्कैन सुविधाएं भी हैं।

जींद में, डीसीएच जींद, एसडीएच नरवाना, एसडीसीएच सफीदों, एसडीएच उचाना, सीएचसी जुलाना और टीबी अस्पताल जींद में एक्स-रे सेवाएं कार्यशील हैं। डीसीएच जींद में पीपीपी मोड के तहत डायलिसिस विंग और सीटी स्कैन सुविधाएं भी हैं।

(ख): हैल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया (एचडीआई) (अवसंरचना एवं मानव संसाधन), 2022-23 एक वार्षिक प्रकाशन है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए स्वास्थ्य सेवा संबंधी प्रशासनिक आंकड़ों पर आधारित है। देश में ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में कार्यरत डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट के यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर निम्नानुसार उपलब्ध है:

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

एनएचएम के तहत देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डॉक्टरों को प्रैक्टिस के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित प्रकार के प्रोत्साहन और मानदेय प्रदान किए जाते हैं:

- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा देने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों और उनके आवासीय क्वार्टरों के लिए दुर्गम क्षेत्र भत्ता दिया जाता है, ताकि उन्हें ऐसे क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में सेवा करना आकर्षक लगे।
- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सिजेरियन सेक्शन करने के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु स्त्री रोग विशेषज्ञों/आपातकालीन प्रसूति देखभाल (ईएमओसी) प्रशिक्षित, बाल रोग विशेषज्ञों और एनेस्थेटिस्ट/जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएएस) प्रशिक्षित डॉक्टरों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है।
- डॉक्टरों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर प्रसवपूर्व जाँच (एएनसी) और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए सहायक नर्स और दाई (एएनएम) के लिए प्रोत्साहन, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य कार्यकलाप आयोजित करने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाता है।
- राज्यों को विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए "यू कोट, वी पे" जैसी कार्यनीतियों में लचीलेपन सहित बातचीत कर समुचित वेतन की पेशकश करने की भी अनुमति दी जाती है।

- एनएचएम के अंतर्गत दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अधिमान्य प्रवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी शुरू किए गए हैं।
- विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए एनएचएम के अंतर्गत डॉक्टरों के बहु-कौशल विकास को सहायता प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए मौजूदा मानव संसाधन का कौशल उन्नयन एनआरएचएम के अंतर्गत एक अन्य प्रमुख कार्यनीति है।

(ग): सरकार ने सटीक और कुशल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जन अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम शुरू किए हैं:

- चिकित्सा उपकरण स्वास्थ्य सेवा वितरण का एक अभिन्न अंग है और शीघ्र निदान एवं त्वरित उपचार के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे स्वास्थ्य परिणामों में सुधार होता है। भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस)-2022 ने स्वास्थ्य सेवा के प्रत्येक स्तर पर उपकरणों की उपलब्धता के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किए हैं।
- एनएचएम के अंतर्गत, मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए अंतराल आकलन के आधार पर आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों के लिए नैदानिक उपकरणों सहित नैदानिक सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है।

(घ): हरियाणा राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग सोनीपत का अन्य-पक्षीय संपरीक्षण प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), हरियाणा द्वारा जुलाई, 2019 से मई, 2025 तक किया गया था। संपरीक्षा में स्वास्थ्य विभाग सोनीपत में स्वीकृत 64 पदों में से 17 रिक्तियों को रेखांकित किया गया। यह भी पाया गया कि निर्देशों के बावजूद निजी अस्पतालों को पैनल से बाहर नहीं किया गया, सीएचसी भैंसवाल कलां द्वारा एक बायो-मेडिकल वेस्ट फर्म को 60,000 रुपये का अधिक भुगतान किया गया, पीएचसी जाखोली में स्टोर का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया और सीएचसी भैंसवाल कलां में एक्स-रे मशीन उपलब्ध नहीं थी।

जींद जिले में केवल एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक बाल रोग विशेषज्ञ और दो एनेस्थेटिस्ट तैनात हैं। इसके अतिरिक्त, जिले में कोई रेडियोलॉजिस्ट और कोई त्वचा विशेषज्ञ तैनात नहीं है।

*****